# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1942/2025

अमीलाल —अपीलार्थी

**बनाम**

1. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सत्येन्द्र कुमार कुमावत, वरिष्ठ सहायक, नागर सब डिवीजन–V (उत्तर), जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुत करने की दिनांक** : 05.02.2025
**आदेश की दिनांक** : 06.03.2025

**उपस्थित –**
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

**आदेश**

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नागर खण्ड, झुंझुंनू में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 18.01.2010 (अनुलग्नक–2) को हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.05.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कार्यालय कनिष्ठ रसायनज्ञ प्रयोगशाला, झुंझुंनू से उप खण्ड बीदासर में स्थानान्तरण किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.10.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपखण्ड बीदासर से खण्ड नवलगढ़ में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण खण्ड नवलगढ़ से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से खण्ड नीम का थाना में किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 03 का स्थानान्तरण उसको समायोजिन करने के उद्देश्य से नगर उपखण्ड–पंचम (उत्तर), जयपुर से अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापित स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 6507/2019 डॉ.

संजय प्रभूणे बनाम राजस्थान में पारित आदेश दिनांक 10.04.2019 (अनुलग्नक–6) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण के समान बताया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नागर खण्ड, झुंझुंनू में कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नागर खण्ड, झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापित स्थान से खण्ड नीम का थाना में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में सक्षम स्तर से स्थानान्तरण किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने का प्रश्न है **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचि0त कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावडा )**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवडा)**
**सदस्य**